<u>न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–01, मथुरा</u>

सत्रवाद सं0–775/2017

राज्य बनाम मंगल सिंह उर्फ किशोर आदि

<u>08.03.2018</u>

सत्र परीक्षण पेश होकर पुकारा गया।

राज्य के पक्ष से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) उपस्थित हैं।

आज अभियोजन के पक्ष से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा आवेदन पत्र 7ख संक्षेप में इस आशय का दिया गया है कि प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं0–775/2017 को मुख्य केस मानते हुए उसके साथ सम्बन्धित सत्रवाद सं0–776/2017 एवं 777/2017 को भी संयुक्त विचारण किये जाने का आदेश पारित किया जाए।

इस आवेदन पत्र का बचाव पक्ष द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है।

मैंने पक्षों के अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

चूंकि दर्शित आधार पर्याप्त हैं। मेरे विचार से न्यायालय का समय बचाने एवं उक्त सत्र विचारणों में विपरीत निर्णय पारित होने से बचने के लिए उनका संयुक्त विचारण किया जाना न्यायोचित लगता है तथा उनका निस्तारण एक ही साक्ष्य एवं निर्णय द्वारा किया जा सकता है।

तदनुसार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 7ख स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत सत्रवाद सं0–775/2017, 776/2017 एवं 777/2017 समेकित किये जाते हैं। प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं0–775/2017 निदर्शक सत्र परीक्षण रहेगा एवं अन्य उक्त सत्र परीक्षण, सहायक सत्र परीक्षण रहेंगे। समस्त अग्रेतर कार्यवाहियां निदर्शक सत्र विचारण के अभिलेख पर ही सम्पन्न की जाएंगी।

पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 31.03.2018 को पेश हो।

दिनांक–08.03.2018

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–01, मथुरा